जनपद - संतकबीरनगर　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　दिनाँक 28.12.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा निर्माणाधीन थाना बेलहरकला के भवन का किया गया निरीक्षण, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 28.12.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा निर्माणाधीन थाना बेलहरकला भवन का किया गया निरीक्षण। भवन निर्माण में प्रयुक्त हो रही निर्माण सामाग्री ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, सरिया व अन्य उपलब्ध सामानों के गुणवत्ता की बारीकी से जांच की गयी साथ ही भवनों में लगे दरवाजे, टाइल्स व दीवालों के प्लास्टर आदि की भी गुणवत्ता जांचकर निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कराने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। सीमेंट, सरिया, टाइल्स, पेन्ट, ग्लास, इलेक्ट्रिक आदि सामानों की गुणवत्ता मानक के अनुरुप रखने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही जांचकर्ता अधिकारी को भवन निर्माण में पड़ने वाले बीम व कालम में कंक्रीट, बालू, सीमेंट, सरिया आदि निर्धारित मात्रा में प्रयुक्त कराने के लिये बताया गया व भवन निर्माण के निरीक्षण हेतु नामित अधिकारी को निरंतर निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी बेलहरकला *श्री नन्दू गौतम* सहित अन्य अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6003 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6003 को थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत गंगादेवरिया से कालर द्वारा वाईक और डम्फर में टक्कर होने से दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियो (01- रविन्द्र पुत्र रामअजौर, 02- संदीप कुमार पुत्र रामदरस निवासीगण ग्राम मेलानखुर्द बुजुर्ग थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) सड़क दुर्घटना के सम्बन्ध में सूचना दिया सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर उक्त घायलो को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी खलीलाबाद भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर सडक दुर्घटना में घायलों को ईलाज हेतु सी0एच0सी खलीलाबाद भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* हे0का0 राकेश साहनी, का0 पवन कुमार मिश्र, हो0चा0 अनिल पाण्डेय।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 102 वाहनों से 1,2,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.12.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 102 वाहनों से 1,02,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।